

16.9.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं
बार-बार आगज लगावने के
उपमान श्री उभयपक्ष अखालतक/
वकालत उपस्थित नहीं आने के
पत्रावली वर्तमान स्तर पर खालिज
किया जाता है पत्रावली नम्बर
से कर की जाकर बाद तबकीला
दाखिल इफ्तार है।

(कपिला शर्मा)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Original